रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2010/भाद्र 3, 1932
No. 214] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2010/BHADRA 3, 1932

## राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2010

**फा. सं. 51-3/2009/भाग/रा.अ.शि.प. (मानक एवं मानदण्ड).**—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 32(2)(घ)(अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् एतद्द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (गैर सहायता-प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रभारित शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्कों के विनियम के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् (गैर सहायता-प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रभारित शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्कों के विनियम के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) संशोधन विनियम, 2010 कहलाएंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (गैर-सहायता-प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रभारित शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्क के विनियम के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 (जिसे इसमें आगे प्रधान विनियम कहा जाएगा) की धारा 3 में,—

(क) खण्ड (घ) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

' ''सक्षम प्राधिकारी'' का अर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जिनके द्वारा इन विनियमों के तहत गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य में विभिन्न अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों द्वारा देय शुल्कों या शुल्कों के पैमानों का निर्धारण किया जायेगा ।'

(ख) खण्ड (च) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

' ''निःशुल्क स्थानों'' का अर्थ है वे स्थान, जिसके लिए प्रवेश चाहने वाले और पाठ्यक्रम का परिचालन करने वाले छात्र द्वारा देय शुल्क इन विनियमों के तहत निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं होगा';

(ग) खण्ड (ज) को छोड़ दिया जाएगा;

(घ) खण्ड (ड) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, नामतः :—

' ''(ढ) अल्पसंख्यक संस्थानों'' का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत स्थापित संस्थान' ।

3. प्रधान विनियम के, विनियम 4 में,—

(क) उप-विनियम (2) में शब्द ''अभ्यर्थी'' के लिए शब्द ''छात्र'' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-विनियम 3 में,—

(क) खण्ड (झ) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

''प्रत्येक मान्यता-प्राप्त संस्थान में सभी स्थान निःशुल्क स्थान होंगे और उनका शुल्कगत ढांचा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा'';

(ख) खण्ड (ii) को छोड़ दिया जाएगा;

(ग) खण्ड (iii) में शब्द ''निःशुल्क स्थानों या भुगतान स्थानों को" के लिए शब्द ''अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को'' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

4. प्रधान विनियम के, विनियम 4 में,—

(क) उप-पैराग्राफ 4 के शब्द ''यह प्रतिशत भुगतान स्थानों में से होगा'' के लिए शब्द ''एक अप्रवासी भारतीय अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के मामले में, स्थानों को सामान्य स्थानों में बदल दिया जाएगा'' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ख) उप-विनियम (5) में,—

(क) खण्ड (i) में शब्द ''या किसी परिवार, जाति या समुदाय, जिसने संस्थान की स्थापना की थी'' को छोड़ दिया जाएगा;

(ख) खण्ड (ii) और (iii) को छोड़ दिया जाएगा;

(ग) छोड़े गए खण्ड (iii) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, नामतः :—

''(iv) प्रत्येक अल्पसंख्यक संस्थान अपना स्वयं का शुल्क ढांचा रखने का हकदार होगा, बशर्ते कि कोई अपलाभ और प्रतिव्यक्ति शुल्क (कैपीटेशन फी) नहीं होगा । वे संस्थान के भविष्य के विस्तार के लिए उपयुक्त अतिरेक का प्रावधान रख सकते हैं ।''

5. प्रधान विनियम के, विनियम 5 में,—

(क) खण्ड (घ) और (ङ) के लिए खण्ड (ii) में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

''(घ) राज्य सरकार द्वारा संस्थानिक वित, लागत लेखाविद्या और अर्थशास्त्र में से प्रत्येक में दो विशेषज्ञ को नामित किया जाएगा—सदस्य

(ङ) निजी अध्यापक प्रशिक्षण संघ का एक प्रतिनिधि, यदि यह राज्य में मौजूद हो या राज्य में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान का एक प्रतिनिधि, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाना है;

(च) राज्य सरकार में अध्यापक शिक्षा का प्रभारी निदेशक—सदस्य सचिव । संबंधित सरकार समिति में सेवा के लिए निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. या राज्य में अध्यापक शिक्षा को नियंत्रण करने वाले समतुल्य स्तर के अधिकारी को नामित करेगी'';

(ख) खण्ड (ii) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामतः :—

''उपर्युक्त की तरह गठित राज्य स्तरीय समिति के सदस्यों का कार्यकाल पदेन सदस्यों को छोड़कर तीन वर्ष होगा ।''

6. प्रधान विनियम के, विनियम 6 के उप-विनियम (2) को छोड़ दिया जाएगा ।

7. प्रधान विनियम के, विनियम 7 में,—

(क) खण्ड (ii) में,—

(क) शब्द ''निःशुल्क स्थानों, भुगतान स्थानों और अप्रवासी भारतीयों, विदेशी छात्रों के लिए'' को छोड़ दिया जाएगा;

(ख) खण्ड (ii) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामतः :—

''तथापि उन्हें संस्थान को चलाने और भविष्य में इसके विकास के लिए निधियों के सृजन की अनुमति होगी ।'';

(ख) खण्ड (vi) में शब्द ''निःशुल्क स्थानों, भुगतान स्थानों और अप्रवासी भारतीयों, विदेशी छात्रों के धारकों के लिए'' छोड़ दिया जाएगा;

(ग) खण्ड (viii) में शब्द ''निःशुल्क स्थानों, भुगतान स्थानों और अप्रवासी भारतीय विदेशी छात्रों के लिए'' के लिए शब्द ''विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् ग्रामीण, जनजातीय और शहरी'' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

8. प्रधान विनियम के, विनियम 9 के उप-विनियम (1) में,—

(क) खण्ड (i) में शब्द ''तीन वर्ष'' के लिए शब्द ''तीन अकादमिक वर्ष'' प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) खण्ड (iv) में शब्द ''परिचालन वाले समाचार पत्र'' के लिए शब्द ''क्षेत्रीय भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र सहित समाचार पत्र'' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

हसीब अहमद, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/131/10-असा.]

## NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2010

**F. No. 51-3/2009/Pt/NCTE(N&S).**—In exercise of the powers conferred by section 32(2)(d)(v) of the National Council for Teacher Education Act, 1993, the Council hereby makes the following regulations to amend the National Council for Teacher Education (Guidelines for regulation of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institutions) Regulations, 2002, namely :

1. (1) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Guidelines for regulation of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institutions) Amendment Regulations, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Council for Teacher Education (Guidelines for Regulation of Tuition Fees and other fees chargeable by unaided teacher education institutions) Regulation, 2002 (hereinafter referred to as the principal regulations), in Section 3,—

(A) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

' "Competent authority" means the University Grants Commission, the Central Government or a State Government which shall determine the fees or scales of fees payable by students for various teacher education courses in a State on the basis of the recommendations of the Committee constituted under these Regulations';

(B) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely :—

' "Free Seats" means seats for which the fee payable by student seeking admission to and prosecution of a course of study shall not exceed the limits specified under these Regulations';

(C) Clause (j) shall be omitted;

(D) after clause (m), the following clause shall be inserted, namely :—

' "(n) Minority Institutions" means the institutions established under Article 30 of Constitution'.

3. In the principal Regulations, in regulation 4,—

(A) in sub-regulation (2), for the word "candidates", the word "students" shall be substituted.

(B) In sub-regulations 3,—

(a) for clause (i), the following shall be substituted, namely :—

"All the seats in each recognized institution shall be free seats and their fee structure shall be as determined by the Competent Authority";

(b) clause (ii) shall be omitted;

(c) In clause (iii) for the words "either to Free Seats or Payment Seats", the words "to teacher Training courses" shall be substituted.

4. In the principal Regulations, in regulation 4,—

(A) In sub-regulation 4, for the words "This percentage shall be out of payment seats", the words, "In case of non-availability of an NRI candidate, the seats shall revert to the general seats" shall be substituted;

(B) In sub-regulation (5),—

(a) in clause (i), the words "or for any family, caste or community which had established the institution" shall be omitted;

(b) clauses (ii) and (iii) shall be omitted;

(c) after clause (iii) as so omitted, the following clause shall be inserted, namely :—

"(iv) Each Minority institution shall be entitled to have its own fee structure subject to the condition that there would be no profiteering and capitation fee. They may keep a provision for reasonable surplus for future expansion of the institution."

5. In the principal rules, in regulation 5,—

(a) in clause (ii) for clauses (d) and (e), the following shall be substituted, namely :—

"(d) Two experts, one each in institutional Finance, Cost Accountancy and Economics to be nominated by the State Government—Member;

(e) One representative of the Private Teacher Training Association; if it exists in the State or a representative of the Teacher Training Institutions in the State, to be nominated by the State Government;

(f) Director in-charge of Teacher Education in the State Government—Member Secretary. The concerned Government may nominate the Director, SCERT or equivalent rank officer dealing with teacher education in the State to serve on the Committee";

(b) after clause (ii) the following shall be inserted namely :—
"The term of the office of the members of the State Level Committee constituted as above shall be three years except in case of ex-officio members".

6. In the principal Regulations, in regulation 6, sub-regulation (2) shall be omitted.

7. In the principal Regulations, in regulation 7,—

(A) in clause (ii),—

(a) the words "for Free Seats, Payment seats and NRI, Foreign students" shall be omitted;

(b) the following shall be inserted at the end of clause (ii), namely :—
"They can however, be allowed to generate funds to run the institute and for its future growth";

(B) in clause (vi), the words "for holders of free seats, payment seats and NRI foreign students" shall be omitted;

(C) in clause (viii), for the words "for students of free seats, payment seats and NRI foreign students", the words "for different areas i.e. rural, tribal and urban" shall be substituted;

8. In the principal regulations, in regulation 9, in sub-regulations (1),—

(a) in clause (i), for the words "three years", the words "three academic years" shall be substituted;

(b) in clause (iv), for the words "news papers having circulation", the words "newspaper including at least one newspaper in Regional Language" shall be substituted.

HASIB AHMAD, Member Secy.
[ADVT III/4/131/10/Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.